निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :72/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सूण्डाराम पुत्र श्री श्रवण जाति माली निवासी ग्राम जयपुरियों का बास, तहसील व जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जयपुर, प्रथम जिला जयपुर ।
2. रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा॰ लि॰ जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिनेश सैनी पुत्र श्री सत्यनारायण पता 709, ओके प्लस, सैक्टर–7, मानसरोवर ।
3. न्यू पथ डवलपर्स एलएलपी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवधेश शर्मा पता 508, ओके प्लस टावर, नीयर के बी–5 मानरोवर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जिला जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2023 उनवानी रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा॰ लि॰ बनाम आनन्दा व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री सियाराम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 3 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 22.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 30/2023 उनवानी रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा॰ लि॰ बनाम आनन्दा व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में विवादित भूमि का अभी विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन की रिट याचिका नम्बर 950/2024 प्रार्थिया ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश कर रखी है जो

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विचाराधीन है। बिना विभाजन के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमि का सीमाज्ञान व कब्जा प्राप्त करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 रियल स्टेट की बडी कम्पनी व फर्म है, जिनके पास पावर व पोजीशन है। जिसके चलते प्रार्थी को धमकी देते है कि हम बिना विभाजन के भूमि पर कब्जा लेने व एस डी एम कोर्ट से पुलिस के जरिये व तहसीलदार के जरिये कब्जा लेंगे। हमारी आर.ए.एस. अधिकारियों से जानकारी है जिसके चलते प्रकरण मे सही विधि अनुसार सही कार्यवाही नहीं हो रही है एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीक नजदीक की तारीख पेशी दी जा रही है, मृतक पक्षकारों के कायम मुकाम भी नहीं बनाये जा रहे है ना ही पक्षकार बनाये जा रहे है। इस प्रकार न्यायालय से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है । येनकेन प्रकारेण प्रकरण को लम्बित रखना चाहता है। इस कारण से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है । पीठासीन अधिकारी ने नजदीक नजदीक तारीख पेशी दिये जाने का कारण प्रकरण पत्थरगढी का होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष अप्रार्थीगण की तामील किया जाना भी पाया गया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मे लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner